

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 01.05.2021

कल दिनांक 30.04.2021 को थानाक्षेत्र कोहड़ौर के मकूनपुर पेट्रोल पम्प के पास युवक की गोली मारकर हत्या कारित करने की घटना से संबंधित मुख्य आरोपी गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद।

कल दिनांक 30.04.2021 को समय करीब 21:30 बजे रात्रि में थानाक्षेत्र कोहड़ौर के मकूनपुर पेट्रोल पम्प के पास एक युवक अरविन्द दुबे पुत्र वेदमणि दुबे नि० शिवपुर दुबे पट्टी थाना कोहड़ौर की गोली मारकर मृत्यु कारित करने की घटना के संबंध में वादी की तहरीर पर थाना कोहड़ौर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 74/21 धारा 147, 148, 149, 302, 506, 120बी भादंवि का अभियोग विकास सरोज उर्फ वाले सरोज पुत्र राम अजोर सरोज नि० शिवपुर दुबे पट्टी थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ आदि 05 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

थाना कोहड़ौर पुलिस द्वारा उक्त घटना से संबंधित मुख्य आरोपी विकास सरोज उर्फ वाले उपर्युक्त को गिरफ्तार कर लिया गया एवं गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में थाना कोहड़ौर पर मु०अ०सं० 75/21 धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। (घटना के संबंध में पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त विकास सरोज उर्फ वाले द्वारा बताया गया कि 5-6 माह पूर्व मेरा गांव में अरविन्द दुबे से विवाद हुआ था जिसमें उसने मुझे गाली दी थी तभी से मैं मौके की तलाश में था। कल दिनांक 30.04.21 को मौका मिलते ही मैंने अपने साथियों की मदद से उसे गोली मार दी)

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

- विकास सरोज उर्फ वाले सरोज पुत्र राम अजोर सरोज नि० शिवपुर दुबे पट्टी थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम— प्रभारी निरीक्षक श्री बच्चेलाल प्रसाद मय टीम थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़

दिनांक 19.04.2021 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदान के दौरान थानाक्षेत्र बाघराय के ग्राम त्रिलोकपुर मतदान केन्द्र पर तोड़फोड़/मारपीट/लूटपाट करने वाले अभियुक्तों में से 01 और अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 19.04.2021 को शाम करीब 05:25 बजे पंचायत चुनाव के दौरान थाना बाघराय के त्रिलोकपुर मतदान केन्द्र पर उग्र भीड़ द्वारा हमला कर कागजातधमतपत्रधमतपेटिकाधकुर्सी—मेज व अन्य सामान की तोड़फोड़ व लूट लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 98/21 धारा 147, 148, 352, 353, 332, 427, 188, 171एफ, भादवि, 139 लो०प्र०अधि० व 7 सीएलए एक्ट व मु०अ०सं० 99/21 धारा 147, 148, 352, 353, 332, 427, 188, 171एफ भादवि, 139 लो०प्र०अधि० व 7 सीएलए एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना बाघराय से उ०नि० दुर्गेश कुमार मय टीम द्वारा थानाक्षेत्र के त्रिलोकपुर से उक्त दोनों अभियोगों में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में घटना से संबंधित कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अन्य अभियुक्तों को चिह्नित कर शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

- कमलेश यादव पुत्र राम पदारथ निवासी त्रिलोकपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम— उ०नि० दुर्गेश कुमार मय टीम थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।